न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 72/2020 तारीख रजू 23.06.2020

प्रभू पुत्र रामसुखा जाति जाट निवासी कुतलपुरा जाटान तह0 सवाई माधोपुर।

---- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार। ------ रेस्पो0

निर्णय दिनांक 24.11.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 53/2020 मे पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पावण्डी के आराजी खसरा नम्बर 256/6 रकबा 3.00 बीघा किस्म चारागाह पर संवत 2076 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर गेहूँ की फसल काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त हुई है। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 256/6 रकबा 3.00 बीघा पर प्रार्थी अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्ड़ित किया गया है। जबकि अपीलान्ट की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात पास में स्थित है। प्रार्थी का कोई अतिक्रमण उक्त आराजी पर नहीं है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया है यदि प्रार्थी को [illegible] अवसर दिया जाता तो प्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करता। यह भी निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा निर्णय पारित कर अहम भूल की गयी है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया है कि [illegible] के सम्बन्ध में [illegible] न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिक्रमण के संबंध में कोई दस्तावेजी [illegible] पेश नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट को स्वंय को नोटिस की तामील करवाई गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस,फर्द नीलामी व अन्य कोई ठोस दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से में पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.03.2020 में बेदखली व शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाकर सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:31:50 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर